JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार में संचार साधनों की प्रभावशाली भूमिका

डॉ0 पूनम वर्मा
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (गृह विज्ञान)
बिन्देश्वरी पी0जी0 कालेज, बरधा भिउरा
अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

सारांश

संचार माध्यम का प्रारम्भ उसी दिन हो गया था जिस दिन मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म हुआ। यह सार्वभौम सत्य है। प्राचीन भारत में मौखिक संचार अन्य संचार प्रक्रियाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावी था। प्राचीन भारत में संचार माध्यम यांत्रिक न होकर व्यक्तिपरक था। वैदिक समाज में लोगों के मध्य होने वाले वाद–विवाद समाज के लिए महत्वपूर्ण होते थे। प्राचीन भारत में सन्त, साधु चारण भाट, अध्यापक, जाति, बिरादरी साहित्य सभा समिति शास्त्रार्थ राजा की घोषणाएं. राजाज्ञा दूत सन्देशवाहक प्रमुख थे। वैदिक कालीन समाज में अनेक जन जातीय व्यवस्थापिकाओं का भी वर्णन मिलता है. जिसमें विदथ सभा और समिति मुख्य थी।[1]

उत्तर वैदिक काल में परिषद अथवा गण सभाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अलावा अनेक धार्मिक सभाओं का भी विवेचन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आता है। अधिकतर बौद्ध काल में विशाल सम्मेलन हुए। वैशाली पाटलीपुत्र और पुरूषपुर में विशाल सम्मेलन आयोजित किए गए।[2] इन सम्मेलनों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर व्यापक रूप में विचार विमर्श हुए। ''विनयपटिका के अनुसार बौद्ध संघ में यह पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। अतः परोक्ष रूप में यह भारतीय संसद एवं कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करेगा। उक्त प्रसार भारती' अधिनियम को व्यावहारिक रूप देने के प्रश्न पर मतभेद था। 1991 में सम्पन्न लोकसभा चुनाव के पश्चात् केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस (इ) की सरकार जन माध्यमों की स्वायत्तता से सम्बन्धित उक्त अधिनियम को उसी रूप में लागू करने के पक्ष में नहीं थी। सरकार ने दूरदर्शन के प्रसारण को निजी क्षेत्रों में सौंपने पर विचार किया। इस निजीकरण के पीछे तर्क था कि प्रतियोगी प्रसारण व्यवस्था से अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण हो सकेगा। निजीकरण के संदर्भ में सूचना प्रसारण मंत्रालय के तत्कालीन सहायक सचिव ए.के. वरदराजन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अक्टूबर 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने दूरदर्शन के निजीकरण का समर्थन किया है।

प्रस्तावनाः

हिन्दी पाठ्यक्रम सेवा 1969 में प्रारम्भ की गयी।[3] यूनेस्को के सहयोग से ऑल इण्डिया रेडियो ने परीक्षा के तौर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पूना प्रसारण केन्द्र से फरवरी – अप्रैल 1956 में प्रारम्भ किया गया। इस योजना में 150 गांवों का चयन पूना के चतुर्दिक 5 जिलों से किया गया। इस पर सर्वे भी किया गया। पूना प्रसारण केन्द्र द्वारा लगभग 2.30 घण्टे प्रसारण मंगल और शनिवार को किया जाता था। दूरदर्शन टेलीविजन के आविष्कार और विकास में अनेक वैज्ञानिकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1884 में जर्मन वैज्ञानिक नियकोव ने वायरलेस द्वारा चित्र प्रेषित करने के लिए एक स्केनिंग डिस्क का निर्माण कराया था। अलेक्जेण्डर्सन फार्सवर्थ और जे.एल.बेयर्ड ने टेलीविजन बनाने में प्रारम्भिक सफलता प्राप्त कर ली। सिद्धांत के रूप में टेलीविजन का प्रदर्शन बेयर्ड ने रॉयल इंस्टीट्यूट में 1926 में किया था। सबसे प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम तार द्वारा न्यूयार्क और वाशिंगटन के बीच भेजा गया। यह श्रृंखला की पहली कड़ी थी। आज विश्व में लगभग 7000 टेलीविजन केन्द्र है।[4]

टेलीविजन का विकास स्वतंत्र भारत में हुआ प्रसारण माध्यमों में टेलीविजन ही एक ऐसा प्रसारण माध्यम है जिसका भारत में उदभव एवं विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ भारत के संविधान में वाकू और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक 182 अधिकार संविधान की धारा 19 (1) (क) द्वारा प्रदान किया गया है।''[5] वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार व्यापक है। इसमें सभी प्रसारण माध्यम एवं संचार माध्यम स्वाभाविक रूप से सम्मिलित हैं। अतः वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत टेलीविजन प्रसारण की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संग सूची में 31 विषय में 'डाक–तार टेलीफोन, बेतार प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन'' 163 को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार टेलीविजन संघ सूची के विषय में परोक्ष रूप से सम्मिलित किया गया है। संविधान की धारा 361 (क) में चौवालिसवें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संसद और विधानसभाओं की कार्यवाहियों के प्रकाशन एवं प्रसारण का उल्लेख किया गया। इसमें प्रसारण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किसी कार्यक्रम या सेवा के भाग के रूप में बेतार के तार प्रेषण द्वारा प्रसारित..... सम्बन्ध में लागू होगा।[6] इस प्रकार बेतार प्रसारण में टेलीविजन भी सम्मिलित है। उक्त के अलावा कोपीराइट एक्ट संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 2 (घ) में दृश्य अर्थात् टेलीविजन प्रसारण को सम्मिलित किया गया है।[7]

विश्व में सर्वप्रथम नियमित टेलीविजन प्रसारण सेवा का प्रारम्भ 1936 में बी. बी. सी. ब्रिटेन में हुआ, फ्रांस में 1938 तथा अमेरिका में 1941 में 166 हुआ।''[8] टेलीविजन प्रसारण की स्थापना की दिशा में प्रयास नवम्बर 1956 में दिल्ली में सम्पन्न यूनेस्को सम्मेलन से प्रारम्भ हो सका। इस सम्मेलन में शिक्षा, ग्राम सुधार और सामुदायिक विकास के लिए जन माध्यम के रूप में टेलीविजन कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों द्वारा विचार–विमर्श के बाद एक योजना बनाई गई। अक्टूबर 1959 में ऑल इण्डिया रेडियो तथा यूनेस्को के मध्य समझौता हुआ। इसके अंतर्गत यूनेस्को भारत को 20000 डालर का अनुदान प्राप्त हुआ और प्रयोगिक स्तर पर टेलीविजन प्रसारण प्रारम्भ हो गया। इस अवधि में

टेलीविजन सेवाओं के प्रसारण का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक शिक्षा था। लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मुद्दे निम्न प्रकार निश्चित किए गए।

(1) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों की स्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप प्रौढ शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार के लिये कार्यक्रम तय करना।

(2) मनोरंजन की सामुदायिक गतिविधियों का विकास तथा स्कूली शिक्षा के पूरक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ।

(3) प्रसारित कार्यक्रमों के अवलोकन एवं उनके ऊपर चर्चा के लिए दृश्य केन्द्रों को संगठित करना।

(4) इसके ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।'' कार्यक्रम का प्रारम्भ 1959 में हुआ। टेलिक्लब की भी स्थापना की गई। इस प्रायोगिक अवधि में सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम सप्ताह में दो बार प्रसारित किए जाते थे। वास्तव में परीक्षण कार्यक्रम दिसम्बर, 1960 में प्रारम्भ हुआ और मई 1961 तक जारी रहा। इसके उद्देश्य स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, यातायात के खतरे इत्यादि के सम्बन्ध में जन चेतना का विकास करना था।[7]

सितम्बर, 1959 में प्रति सप्ताह आधा घंटे की प्रसारण सेवा प्रारम्भ हुई। इसकी प्रसारण क्षमता दिल्ली के चारों ओर 40 किलोमीटर थी। 1961 में ऑल इण्डिया रेडियो ने फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से स्कूलों के लिए एक प्रसारण परियोजना का प्रारम्भ दिल्ली से किया। 1961 में यह कार्यक्रम 250 स्कूलों में टेलीविजन सेट लगाकर प्रारम्भ किया गया। इन कार्यक्रमों में विज्ञान, अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान को सम्मिलित किया गया पालन्यूराथं द्वारा इसका अध्ययन कर यूनेस्को को रिपोर्ट दी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख था कि भारत में टेलीविजन का शिक्षा में उपयोग रहा।'' 15 अगस्त, 1965 को दिल्ली में अगले 7 वर्ष के लिये नियमित टेलीविजन प्रसारण केन्द्र स्थापित किया गया। 1967 में ग्रामीण टेलीविजन प्रसारण की पायलट योजना ऑल इण्डिया रेडियो दिल्ली द्वारा स्वीकार की गयी। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों के लिए यह कार्यक्रम ''कृषि दर्शन'' नाम से प्रारम्भ किया गया। इसमें भारतीय कृषि संस्थान, ऑल इण्डिया रेडियो भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग और दिल्ली प्रशासन मुख्य सहयोगी थे। कृषि दर्शन का प्रसारण बुध और शुक्रवार को किया जाता था। इसके प्रसारण की अवधि 21 मिनट होती थी। 1970 में इसमें एक दिन की अवधि बढ़ायी गयी तथा प्रसारण अवधि 30 मिनट कर दी गई। समय–समय पर इसका मूल्यांकन भी किया गया। यह कार्यक्रम किसानों के लिए अधिक उपयोगी था।

अक्टूबर 1972 में नया दूसरा प्रसारण केन्द्र टेलीविजन का बाम्बे में प्रारम्भ हुआ। इसी वर्ष पूना से भी प्रसारण प्रारम्भ हुआ। 1973 में अमृतसर और श्रीनगर, 1975 में कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र खुले 1976 में टेलीविजन प्रसारण क्षमता के अंतर्गत 45 मिलियन जनसंख्या तथा 7500 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र था। इसके अंतर्गत 19000 गांवों की लगभग 20 मिलियन जनसंख्या थी, 5,00,000 टेलीविजन सेट थे जिनमें 1300 सामुदायिक केन्द्र थे।

1954 में गठित तथा 1965 में अपना प्रतिवेदन देने वाली अशोक चन्दा जांच समिति ने टेलीविजन के विस्तार की संस्तुति की। उसने बताया कि विश्व के अन्य विकासशील देश टेलीविजन को अपना रहे हैं संस्तुति में यह भी था कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक टेलीविजन का व्यापक विस्तार किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी गावों और शहरों में टेलीविजन को पहुंच जाना चाहिए। समिति ने टेलीविजन सचार के लिए उपग्रह के प्रयोग पर भी बल दिया। इसने प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक दशाओं के विषय में भी अपनी संस्तुति दिया। एक प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर बल दिया। इसने फिल्म इस्टीट्यूट पूना को सभी प्रकार की सुविधाएं टेलीविजन प्रशिक्षण के संदर्भ में देने को संस्तुति की। इसने शोध पर भी बल दिया। इस समिति ने रेडियो और टेलीविजन को स्वायत्त निगम के अंतर्गत संचालित करने का सुझाव दिया। 1957 में विश्व का पहला उपग्रह छोड़ा गया। विकास के अगले चरण में 1968 दिसम्बर में पहला संचार उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजा गया। इसके द्वारा 24 घंटे प्रसारण सुविधा मिल सकी।

सितम्बर 1969 में भारत और अमेरिका के मध्य उपग्रह के परीक्षणात्मक प्रयोग का अनुबन्ध हुआ। इसके अंतर्गत उत्तर भारत के 5000 गायों को सम्मिलित करने का निश्चय किया गया। इसी समय नासा (नेशनल एरोनोटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के लिये संचार उपग्रह छोड़ने का कार्यक्रम तय किया गया। बाद में 1973 में उपग्रह छोड़ने का कार्यक्रम तय किया और इसकी घोषणा की। इसरो (इण्डियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन) की स्थापना 1973 में की गयी। यह परमाणु ऊर्जा विभाग का एक भाग था। इसने संचार उपग्रह के प्रस्तावित केन्द्र का प्रारम्भ अहमदाबाद और दिल्ली में प्रारम्भ किया। 1967 में राष्ट्रव्यापी टेलीविजन प्रसारण के लिए सभी सम्भावनाओं पर विचारविमर्श के बाद वर्तमान में व्यवहृत इनसेट कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। 1965 में उपग्रह संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इंटेलसेट के माध्यम से व्यवहृत हुआ। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्र को संचार उपग्रह की सुविधा प्रदान करना था। अंतर्राष्ट्रीय टेली संचार संघ उपग्रह संचार की नवीन समस्या से निपटने के लिये 177 1985 और 1988 में विचार का निश्चय किया।''

भारत ने सर्वप्रथम ''आर्यभट्ट' नामक उपग्रह 19 अप्रैल, 1975 को अन्तरिक्ष भेजा था। भारत ने 7 जून 1979 को अन्तरिक्ष में भास्कर' नामक उपग्रह को भेजा यह दूसरा भारतीय उपग्रह था। इनसेट–1 बहुउद्देश्यीय उपग्रह को 1981 में अन्तरिक्ष में भेजा गया। परन्तु यह प्रयोग कुछ समय बाद असफल हो गया। रोहिणी–1, (एस.एल.वी.–३) उपग्रह प्रक्षेण वाहन 12 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक अन्तरिक्ष में भेजा। 1961 में रोहिणी–2 को कक्ष में स्थापित किया गया। भू–सम–सामयिक प्रयोगात्मक संचार उपग्रह एप्पल 1981 में अंतरिक्ष में भेजा गया। इसने 15 अगस्त 1981 को सफलतापूर्वक दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रसारित किया। इस्ट–1 (ए) 10 अप्रैल 1982 को अंतरिक्ष में भेजा गया। इस बहुउद्देश्यीय उपग्रह से संचार के साथ मौसम तथा अन्य सूचनाएं प्राप्त हो रही थी परन्तु यह 1982 में ही बन्द हो गया। रोहिणी 560 का प्रक्षेपण 12 जनवरी, 1983 में किया गया। 30 अगस्त 1983 को अमेरिका के शटल चौलेंजर द्वारा इन्सेट–1 (बी) को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह 15 अक्टूबर, 1983 से कार्यरत है। इससे टेलीविजन का सारे राष्ट्र में सीधा प्रसारण सम्भव हो सका। इसके अंतर्गत आन्ध्र, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश राज्यों के पिछड़े समूहों को मुख्य रूप से चुना गया है। इस

योजना के अंतर्गत निर्धारित गांवों में 2000 सीधे रिले सेट तथा 2000 उच्च फ्रीक्वेन्सी के सेट लगाए जायेंगे। अप्रैल, 1976 में ऑल इण्डिया रेडियो से दूरदर्शन को अलग कर दिया 180 गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दूरदर्शन को पूर्णरूप से एक निदेशालय बनाया गया। इसके प्रमुख एक महानिदेशक हैं।

आपातकाल के बाद 1977 में बी.जी. वर्गेस कमेटी ने दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तशासी करने का सुझाव दिया। इस कमेटी ने दोनों को अलग–अलग प्रबन्ध का सुझाव दिया कि रेडियो और टेलीविजन पर जन स्वामित्व हो इसके लिए एक स्वतंत्र 'आकाश भारती'' ट्रस्ट की संस्तुति की दूरदर्शन' भी रेडियो के साथ इसी ट्रस्ट में सम्मिलित है। पूरे प्रसारण तंत्र को केन्द्र, क्षेत्र, अंचल एवं प्रसारण केन्द्र में विभक्त कर, क्षेत्र के केन्द्रीय उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पांच भागों में विभक्त किया। प्रसारण के साथ–साथ वित्त प्रबन्ध प्रशिक्षण तथा अपील विदेश, सेवा इत्यादि के संदर्भ में अपनी संस्तुति दी। सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव था कि आकाशवाणी और रेडियो तथा दूरदर्शन ग्रामोन्मुख हो तथा उचित शोध की व्यवस्था भी हो। कार्यदल ने संस्तुति दी कि इसमें संदेह नहीं है कि टेलीविजन एक प्रभावशाली संचार माध्यम है। इसका विकास होना चाहिए। स्थानी टेलीविजन केन्द्र को दूर विकास केन्द्र' या ग्राम विकास दूरदर्शन' की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत कम शक्ति के दूरदर्शन केन्द्र अपने निर्दिष्ट श्रोता वर्ग के लिए प्रसारण करेंगे। इस प्रसारण का सम्बन्ध, कृषि, सिंचाई, सामाजिक शिक्षा तथा ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित होगा।

प्रसारण माध्यमों की स्वायत्तता की संस्तुति अशोक चन्दा समिति (1964), बी. जी वर्गेस समिति (1977) के अलावा भगवन्तम समिति (1965) ने भी किया है। भगवन्तम समिति ने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी। इस कमेटी का गठन सूचना और 163 प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन के विकास के लिए भारत में तकनीकी संरचना के लिये इसका गठन किया था। उन तरीकों और तकनीकों का अध्ययन करना जिसके द्वारा भारत में टेलीविजन की उच्चस्तरीय कार्यक्रमों की गुणवत्ता स्थापित हो सके । इसका कार्य संगठनात्मक और व्यावहारिक अध्ययन करना भी था। इस समिति ने 25 वर्षीय विकास योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसने छोटे बड़े टेलीविजन के प्रसारण केन्द्रों की स्थापना तथा विकास पर बल दिया। समिति ने तकनीकी विकास तथा कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने पर बल दिया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि फिल्म रेडियो की अपेक्षा टेलीविजन का प्रसार भारत में अति स्वल्प समय में हुआ टेलीविजन से प्रसारित होने वाले धारावाहिक तथा अन्य कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय हुए हैं। संचार के प्रसारण माध्यमों में रेडियो और टेलीविजन तथा वीडियो ऐसे माध्यम है जिनका रिश्ता सामाजिक व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं से जुड़ा है। इन्होंने अपने उद्‌भव के साथ अपना स्थान भी बनाया। शादी–विवाह के अवसर पर रेडियो देने की परम्परा थी। रेडियों के बाद जब से टेलीविजन का प्रचार हुआ तब से टेलीविजन देने की परम्परा चल पड़ी। यह परम्परा दहेज के रूप में जन्मा एक अभिशाप अवश्य है परन्तु इससे एक सामाजिक रुझान यह दिखाई पड़ती है कि हमारे समाज का रुख संचार माध्यमों के प्रति उच्चस्तरीय है। समाज ने संचार माध्यमों को पवित्र दाम्पत्य बंधन के अवसर से जोड़ दिया है। वर्तमान समाज की धारा क्या होगी? इसके वास्तविक निर्माता तथा निर्धारक संचार माध्यम ही है। संचार माध्यमों ने एक नवीन सामाजिक एवं राजनीतिक संस्कृति ही पैदा कर दी है। इसे हम सचार की सामाजिक व्यवस्था की संज्ञा दे सकते हैं।

संदर्भः–

1– मेहता डी0एस0, हैण्डबुक ऑफ पब्लिक रिलेशन इन इण्डिया, 1980 एलाइड प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0–150

2– दी प्रसार भारती (ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया) एक्ट 1990, प्रोड्यूस्ड वाई0डी0ए0वी0पी0, आई0 एण्ड बी0 मिनिस्ट्री, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, 1990

3– वार्गेस वी0जी0, भाग–2, आकाश भारती, नेशनल ब्राडकास्टिंग ट्रस्ट रिपोर्ट भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, 1979, पृ0–ए–16

4– दीक्षित प्रवीण, जनमाध्यम और पत्रकारिता, भाग–1, 1980, वर्मा कम्पोजिंग एजेन्सी, 127/472 जूही, कानपुर, पृ0–82

5– भारत का संविधान, 1985, राजभाषा खण्ड, विद्यायी विभाग, भारत सरकार, पृ0–3030

6– वही, पृ0–301

7– भारत का संविधान, 1980, वही, पृ0–126–27

8– ऐक्टस ऑफ पार्लियामेन्ट 1983, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, 1984, पृ0–219